



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 12.05.2026



कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.2026 को गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मौसम अली उर्फ मोअज्जम पुत्र नसरत निवासी मोहल्ला गढी अब्दुल मजीद खां कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक देशी तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त मौसम अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 314/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 311/23 धारा 380/411 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़।



प्रेस नोट – थाना राजेपुर
दिनांक - 12.05.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 67/26 धारा 191(2)/191(3)
/190/221/132/121(2)/352/109 बी0एन0एस0 व धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति
निवारण अधिनियम एवं धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम से
सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/221/132/121(2)/352/109 बी0एन0एस0 व धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त 01. विकास पुत्र बृह्मपाल 02. कश्मीर पुत्र रामगुलाम निवासीगण ग्राम चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

01. विकास पुत्र बृह्मपाल निवासी चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
02. कश्मीर पुत्र रामगुलाम निवासी चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण- वादी उ0नि0 श्री महेश कुमार की लिखित तहरीर दिनांक 09.05.2026 को अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय से एक राय होकर जान से मारने की नियत से सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों के ऊपर प्राण घातक हथियार, लाठी, डण्डा, सरिया व ईंट पत्थर से हमला कर जिससे पुलिस फोर्स के गम्भीर चोटें आना एवं सरकारी वाहन संख्या यूपी 76 जी-0311 को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर देना जिससे अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो जाने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2026 धारा 191(2),191(3),190, 221,132,121(2)d, 352,109, बीएनएस व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम बनाम कश्मीर आदि 14 नफर व करीब 25-30 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त 01. विकास पुत्र बृह्मपाल निवासी चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 02. कश्मीर पुत्र रामगुलाम निवासी चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने जुर्म की माफी मांगते हुए अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 67/2026 धारा- 191(2),191(3),190, 221,132,121(2)d, 352,109, BNS 2023, व 3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधि0 एवं 7 आपराधिक विधि सं0 अधि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 107/23 धारा 120बी/366 भा0द0वि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 170/21 धारा 147/148,149,323,352,42,504,506 भा0द0वि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त कश्मीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 67/2026 धारा- 191(2),191(3),190, 221,132,121(2)d, 352,109, BNS 2023, व 3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधि0 एवं 7 आपराधिक विधि सं0 अधि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद वर्मा
03. हे0का0 विनय कुमार
04. रि0का0 दिनेश कुमार अत्री
05. रि0का0 सौरभ सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक – 12.05.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने एवं अश्लील गाना गाने वाले 01 मनचले युवक को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा टहलने वाली महिलाओ पर अश्लील फब्तियां कसने एवं अश्लील गाना गाने वाले 01 मनचले युवक जीवन शाक्य पुत्र चन्द्रभान निवासी मोहल्ला गडरियान कस्बा व थाना राजा का रामपुर जनपद एटा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।



गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:

01. जीवन शाक्य पुत्र चन्द्रभान निवासी मोहल्ला गडरियान कस्बा व थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 12.05.2025 को थाना मऊदरवाजा मिशन शक्ति/एन्टीरोमियो टीम को ग्राम गढिया में मन्दिर के सामने टहलने जाने वाली महिलाओ व लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कसने एवं अश्लील गाना गाने वाले मनचले युवक जीवन शाक्य पुत्र चन्द्रभान निवासी मोहल्ला गडरियान कस्बा व थाना राजा का रामपुर जनपद एटा को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 296 बीएनएस बनाम जीवन शाक्य उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त जीवन शाक्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 296 बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह | 6. म0का0 ऋचा |
| 2. उ0नि0 श्री रामकेश सिंह | 7. म0का0 कल्पना |
| 3. हे0का0 लाल सिंह | 8. म0का0 खुशबू शर्मा |
| 4. हे0का0 सुबोध कुमार | |
| 5. म0का0 जयंती कुमारी | |

मीडिया सेल फतेहगढ़।